प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 जून, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री शिवलखन, निवासी जनपद-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री शिवलखन (दिनांक 27.06.2022 तक 55 वर्ष 05 माह 11 दिन) जो ग्राम-सुसुवाही, थाना-लंका, जनपद-वाराणसी का निवासी है। बंदी द्वारा सड़क किनारे दो विस्वा जमीन बेचने से इन्कार करने के कारण दिनांक 23.06.1998 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष वाली शराब पिलाकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-566/2001 में भा०द०वि० की धारा-328, 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-07, वाराणसी के आदेश दिनांक 10.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 27.06.2022 तक अपरिहार 11 वर्ष, 05 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध को सीमित अपराध की श्रेणी में होने, किन्तु भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होना, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 27.06.2022 बन्दी की 55 वर्ष 05 माह की आयु एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक दिनांक 27.06.2022 तक अपरिहार 11 वर्ष 05 माह 20 दिन तथा परिहार 13 वर्ष 11 माह 13 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने बन्दी दिनांक 27.06.2022 से जमानत मुचलके पर रिहा होने एवं पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट/जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, समी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-22/2013) पुत्र श्री शिवलखन, निवासी जनपद-वाराणसी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

संख्या-619/2026/2014(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।